101

R 4165 II-16

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल
प्रकरण कमांक /निगरानी/2016

संतोष आ. श्री कैलाश दास बैरागी आयु वयस्क
निवासी ग्राम बिलकिसगंज तहसील व जिला
सीहोर म0प्र0।..निगरानीकर्ता

विरूद्ध

घीसीलाल आ. श्री सूरज सिंह आयु वयस्क
निवासी ग्राम बिलकिसगंज तहसील व जिला
सीहोर म0प्र0।..रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30/06/2016 प्रकरण कमांक 192/अ-12/15-16 (घीसीलाल विरूद्ध सर्वसाधारण) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय सीहोर जिला सीहोर द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. **प्रकरण कमांक 192/अ-12/15-16 (घीसीलाल विरूद्ध सर्वसाधारण) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय सीहोर दिनांक 30/06/2016**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ तहसीलदार महोदय, के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट के द्वारा भूमि सर्वे नंबर 393,440,444,441,45,442,443,446 रकबा 0.45 एकड़ स्थित ग्राम बिलकिसगंज तहसील व जिला सीहोर म0प्र0 उल्लेखित करते हुये भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेढ़िया कृषकों को एवं निगरानीकर्ता को सूचना एवं सूनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर विधिवत सूचना पत्र तामिल कराये बगैर राजस्व प्रकिया के विपरीत जाकर अवैधानिक एंव दुषित प्रकिया का पालन करते हुये भूमि का सीमांकन किया गया दिखावटी एंव फर्जी तरीके से किये गये सीमांकन दिनांक 30/06/2016 को निगरानीकर्ता निम्न विधिक आधारों पर चुनौती देता हैः-

R-4165-II/16 सीहोर

नोटशीट ए/4 टाल- फाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9/1/18 भोपाल	आवेदक अभि० श्री -एन० एस० ठाकुर उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर)	Not Press (हस्ताक्षर) 9-01-18